

प्रेषित,

अरुण कुमार डौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
निदेशात्मक प्रशासकीय
उत्तराखण्ड देहरादून।

पंचायती राज अनुभाग

देहरादून

दिनांक 9 अगस्त, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में प्राविधानित विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि की धनराशि निर्वहण पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 एवं शासनादेश संख्या-57/xii/2012/86(10)/2005 टी0सी0-1 दिनांक 15 मई, 2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष के विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि के अंतर्गत क्रमशः संलग्नक अलाटमेंट आई0डी0-S1207199718, S1207300719 एवं S1207310720 सामान्य सेवा प्राविधानित ₹ 1,33,33,000/- (₹ एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र), एस0सी0एस0पी0 हेतु ₹ 1,26,67,000/- (₹ एक करोड़ छब्बीस लाख सड़सठ हजार मात्र) एवं टी0एस0पी0 हेतु ₹ 20,20,000/- (₹ बीस लाख मात्र) कुल ₹ 200.00 लाख की धनराशि (01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक के लिए 04 माह के लेखाबुदाब की समस्त धनराशि को सम्मिलित करते हुए) शासनादेश संख्या-57/xii/2012/86(10)/2005 टी0सी0-1 दिनांक 15 मई, 2012 में निहित शर्तों एवं शर्तबन्धों के अंतर्गत निर्वहण पर रखे जाने कि इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- विभागाध्यक्ष स्तर से अपने अधीनस्थ जाहरण विचारण अधिकारियों को बजट आवंटन राफतदेवर के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-45(1)/XXVII(4)/2010, दिनांक 27 जुलाई, 2012 द्वारा प्राप्त निर्देशों अंतर्गत निगत किया जा रहे हैं।

भवदीय

(अरुण कुमार डौंडियाल)
सचिव।

संख्या (1)/XII/2012/86(10)/2005 टी0सी0-1 दिनांक 13/8/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
अनु सचिव।

लेख
निदेशक
13/8/2012